बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

स0सं0 :–3/अ0प्र0–1–06/2020 4428 / पटना, दिनांक :– 21.4.25

श्री रविशंकर पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बगहा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अपूर्ण योजना का विहित प्रपत्र में फोटोग्राफ के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने तथा विभागीय आदेशों/निदेशों का अवहेलना के आरोप में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–935 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु विभाग से अनुशंसा की गयी।

2. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिए श्री पासवान तदेन कार्यपालक अभियंता से विभागीय पत्रांक–768 अनु0 दिनांक 26.03.2019 द्वारा स्प्ष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान द्वारा पत्रांक–1005 दिनांक 17.05. 2019 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक–2929 अनु0 दिनांक 17.10.2019 द्वारा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया।

3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5542 दिनांक 20.12.2019 द्वारा श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने का मंतव्य अंकित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुशंसा की गयी।

4. विभागीय पत्रांक–7632 दिनांक 31.10.2019 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं जो योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्राधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त है, के सेवा संबंधित एवं अनुशासनिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को प्रत्योजित की गयी है, से संबंधित वस्तुस्थिति से योजना एवं विकास विभाग को अवगत कराते हुए विभागीय पत्रांक–451 अनु0 दिनांक 28.01.2020 के द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के प्रसंग/आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

5. तदोपरान्त योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–3137 दिनांक 10.09.2021 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला योजना पदाधिकारी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. श्री पासवान का दिनांक 31.12.2021 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक–1423 दिनांक 30.03.2022 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

7. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3534 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन से संबंधित संचिका मूल रूप में उपलब्ध करायी गयी।

इस जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्रवाई हेतु निर्धारित तिथियों में आरोपी

पदाधिकारी को उपस्थित होकर अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु कई बार तिथियाँ निर्धारित की गयी। इस क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी श्री पासवान को दूरभाष पर निर्धारित तिथि की सूचना दी गयी। परन्तु वे लगातार अनुपस्थित रहें। साथ ही अनुपस्थिति हेतु कोई सूचना भी उनके द्वारा नहीं दी गयी। निर्धारित तिथियों की सूचना दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी विज्ञप्ति निकालकर योजना एवं विकास विभाग द्वारा दी गयी। परन्तु इसके बावजूद भी श्री पासवान द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित किसी भी तिथियों में उपस्थित नहीं हुये।

उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगे सभी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए उनके विरूद्ध विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

8. योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2041 अनु0 दिनांक 25.09.2023 द्वारा श्री पासवान सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता से बचाव बयान/लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

9. श्री पासवान द्वारा समर्पित बचाव बयान/लिखित अभिकथन दिनांक 08.12.2023 पर विभागीय पत्रांक–320 अनु0 दिनांक 05.02.2024 द्वारा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4696 दिनांक 22.08.2024 द्वारा श्री पासवान के बचाव बयान को संतोषप्रद नहीं पाये जाने का मंतव्य अंकित किया गया।

10. तदोपरान्त प्रश्नगत मामले से संबंधित अभिलेख की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री रविशंकर पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बगहा सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमवाली के नियम 43बी के तहत पेंशन से अगले 2 वर्षों तक 20 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. श्री पासवान के विरूद्ध उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2536 दिनांक 23.09.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श /सहमति की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक–5089 दिनांक 21.03.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री रविशंकर पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बगहा सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमवाली के नियम 43बी के तहत पेंशन से अगले 2 वर्षों तक 20 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Kumar
21/4/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–06/2020 4428 / पटना, दिनांक :– 21.4.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित ।

SKumar 21/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–06/2020 4428 / पटना, दिनांक :– 21.4.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 21/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–06/2020 4428 / पटना, दिनांक :– 21.4.25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 21/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–06/2020 4428 / पटना, दिनांक :–21.4.25

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सचिव/सभी मुख्य अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–6, 12 एवं 13 /अधीक्षण अभियंता, कार्य अचल, बेतिया /कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बगहा–2, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बगहा /श्री रविशंकर पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बगहा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता – गणपति अपार्टमेन्ट, फ्लैट संख्या–204, प्रियदर्शी नगर, पो0–दानापुर, जिला–पटना पिनकोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

SKumar 21/4/25

अवर सचिव